2017/00140

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 32/2017

अपीलांट
सुखाराम पुत्र दौलाराम जाति
कुम्हार निवासी ऊटल
तहसील,शिव

बनाम

रेस्पोडेंट
राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार,शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश 05.07.2017 बमुकदमा संख्या 26/2017 द्वारा तहसीलदार,शिव

उपस्थितः–1. अपीलांट के अधिवक्ता अनुपस्थित।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.12.2017

1. अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार,शिव द्वारा प्रकरण संख्या 26/17 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजड़ाल ने तहसीलदार,शिव के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलांट–सुखाराम ने सम्वत् 2074 में मौजा ऊटल के खसरा नम्बर 456 रकबा 4–00 बीघा किस्म गैर बा.सो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा एंव तारबन्दी की गई है। इस पर तहसीलदार, शिव ने प्रकरण संख्या 26/17 दर्ज कर बाद,जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये, 12/–जुर्माना आरोपित किया एंव दो माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है।
3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में जारी नोटिस पर अपीलांट दिनांक 19.04.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु अवसर प्रदान करने का निवेदन किया

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गिया था जिस पर पत्रावली दिनांक 05.05.2017 को नियत की गई, मगर दिनांक 05.05. 2017 की आदेशिका में अपीलांट की अनुपस्थिति अंकित कर अपीलांट की अनुपस्थिति में समस्त कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट पश्चात्वति अतिक्रमी नहीं है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट ने अतिक्रमण हटा दिया है,जुर्माना की राशि अदा कर दी है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाए। इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलांट ने सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था और उसे बेदखल किया गया था। अपीलांट ने इस भूमि पर सम्वत् 2074 में पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांट की अतिक्रमण करने की प्रवृति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह सही है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एंव तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का राजड़ाल की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा मौजा ऊटल के खसरा नम्बर 456 रकबां 4–00 बीघा किस्म बा. सो.सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा एंव तारबन्दी करने पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर,अपीलांट को सुनवाई हेतु पेशी तारीख 19.4.2017 का नोटिस जारी किया गया,जो अपीलांट स्वम् द्वारा तामिल किया गया है। अपीलांट पेशी तारीख 19.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है और दिनांक 19.04.2017 की आर्डर शीट पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान अनुसार अपीलांट द्वारा इस भूमि पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 627/16 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एंव जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये थे जिस पर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही की जाकर कब्जा बहक सरकर प्राप्त किया है, जिसकी बेदखली एंव कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है। इससे प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा दुबारा अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने,जुर्माना आरोपित करने एंव सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एंव न्यायोचित है,इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट भूमिहीन एंव गरीब काश्तकार है।अपीलांट ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व भूमि से कब्जा हटा दिया है।इसलिये सिविल कारावास कीसजा

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

माफ की जाएं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी ने वर्तमान में अपना कब्जा हटा लिया है और अतिक्रमित भूमि वर्तमान में खाली है एंव सरकारी कब्जे में है। इस पर हमने गौर किया। अपीलांट ने भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है, और अतिक्रमीत भूमि खाली एंव सरकारी कब्जे में है। लिहाजा अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर